

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2116] No. 2116]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2015/आश्विन 8, 1937

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2015/ASVINA 8, 1937

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2015

का.आ. 2673(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा सरंक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (च) और (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, नायवेली तापीय विद्युत स्टेशन 1 [6X50 मेगावॉट + 3X100 मेगावॉट], नायवेली, कुड़ालोर, तमिलनाडु को "क्षेत्र सारणी (viii) तापीय विद्युत संयंत्र में प्रविष्टि सं. 106" द्वारा अभिहित उपभोक्ता द्वारा इसकी ऊर्जा खपत के वर्तमान प्रमापों और मानकों के संबंध में 2012-2013 से 2014-2015 की अवधि के लिए 4131 कि. कै./कि.वा.घ. की निवल ताप दर – आधारभूत ऊर्जा खपत प्रमाप और मानक द्वारा 4453 कि. कै. / कि.वा.घ. की निवल ताप दर–लक्षित वर्ष 2014-15 में अनुपालन के लिए 3335 मिलियन यूनिट (कि.वा.घ.) के निवल ताप दर और निवल उत्पाद आउटपुट, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 687(अ) द्वारा तारीख 30 मार्च, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप खंड (ii) तारीख 30 मार्च, 2012 को ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत प्रमाप और मानक, प्ररूप, स्कीम की समय सीमा, तैयार करने का तरीका, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के समतुल्य मीटरी टन तेल का मुल्य) नियम 2012 है, जिसे विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 269(अ) तारीख 30 मार्च, 2012 को अधिसूचित जिसे भारत के राजपत्र, साधारण, भाग II खंड 3, उप खंड (i) तारीख 30 मार्च, 2012 को प्रकशित किया गया;

और कथित अभिहित उपभोक्ता ने केन्द्रीय सरकार से ऊर्जा खपत मानकों और स्तरों – उपरोक्त पैरा 1 में अभिहित निवल ताप दर में 6x50 मेगावॉट + 3x100 मेगावॉट के अपने संयंत्र में रियायत के लिए अनुरोध किया है, चूंकि ये अपने सेवाकाल के पूरे होने पर इसकी डीकमिशनिंग करने जा रहे हैं और ये 2x500 मेगावॉट क्षमता की नई नायवेली तापीय विद्युत परियोजना (एनएनटीपीपी) की कमिशनिंग तक इसका प्रचालन जारी रखेंगे, जैसा कि तमिलनाडु जनरेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई द्वारा तमिलनाडु राज्य में बिजली की गंभीर कमी को देखते हुए संप्रेषित किया गया है;

4156 GI/2015 (1) और उक्त अभिहित उपभोक्ता ने दो चरणों में अपने संयंत्र की दो इकाइयों को क्रमश: अक्तूबर 2017 और अप्रैल 2018 में, अक्तूबर 2017 में (3, 4, 5, 6 और 9 इकाइयां) तथा अप्रैल 2018 में (1, 2, 7 और 8 इकाइयां) 300 मेगावॉट की प्रत्येक 2x500 मेगावॉट की क्षमता की नई नायवेली तापीय विद्युत परियोजना (एनएनटीपीपी) की इकाई 1 और 2 की किमशिनिंग के साथ तुल्यकालिक बनाने के लिए कार्य से निवृत्त करने का प्रस्ताव किया है।

और केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से पूर्वोक्त कथित अभिहित उपभोक्ता के अनुरोध पर विचार किया है और इसकी राय यह है कि लोकहित में अनिवार्यता और शीघ्रता करते हुए कथित नायवेली तापीय विद्युत स्टेशन 1 की डीकमिशनिंग के लिए सहमति दी जाए;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से अभिहित उपभोक्ता, अर्थात् नायवेली तापीय विद्युत स्टेशन 1, नायवेली, कुडुालोर, तिमलनाडु को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 31 मार्च 2017 तक की अविध के लिए उपरोक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट ऊर्जा खपत प्रमाप और मानक – लक्षित वर्ष 2014-15 के प्रथम चक्र (2012-13 से 2014-15) में निवल ताप दर निर्दिष्ट की गई, अर्थात्:

- (क) उक्त अभिहित उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि नायवेली तापीय विद्युत स्टेशन 1, नायवेली, कुड्डालोर, तिमलनाडु की सभी यूनिट 31 मार्च 2017 को डीकिमिशन या कार्यभार से मुक्त हो जाती हैं और इन्हें भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और तिमलनाडु राज्य की राज्य अभिहित अभिकरण में कथित तारीख तक उक्त नायवेली तापीय विद्युत स्टेशन 1 की सभी इकाइयों की डीकिमिशनिंग की पृष्टि की जाती है;
- (ख) उक्त अभिहित उपभोक्ता ने उपरोक्त कथित रियायत के बदले में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता की स्थापना के लिए 109,04,07,598 रु. (केवल एक सौ नौ करोड़, चार लाख, सात हजार, पांच सौ अठ्ठानवे रुपए) जो ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत प्रमाप और मानक, प्ररूप, स्कीम की समय सीमा, तैयार करने का तरीका, ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के समतुल्य मीटरी टन तेल का मूल्य) नियम, 2012 के नियम 16 के अधीन तेल समतुल्य टन के संदर्भ में ऊर्जा के मूल्य के समतुल्य है, जो निम्नलिखित सूत्र के अनुसार है, अर्थात् :—

तेल समतुल्य के टन के निबंधनों में ऊर्जा का मूल्य = [{लक्षित वर्ष के लिए आधारभूत निवल ताप दर (कि. कै. / कि. वॉ. घ.) – निवल ताप दर (कि. कै. / कि. वॉ. घ.) } X निवल उत्पाद आउटपुट (मिलियन इकाइयां)] /10

[फा. सं. 1/11/2013-ई.सी.]

सतीश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2015

S.O. 2673(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by clauses (g) and (n) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency had specified the Neyveli Thermal Power Station 1 [6×50 MW + 3×100 MW], Neyveli, Cuddalore, Tamil Nadu, being the designated consumer vide "entry No. 106 in the Sector Table-(viii) Thermal Power Plant", the Energy Consumption Norms and Standards - Net Heat Rate of 4131kcal/kWh-for the period 2012-2013 to 2014-2015, in relation to its current level of Energy Consumption Norms and Standards - Net Heat Rate of 4453 kcal/kWh, being the base line Energy Consumption Norms and Standards-Net Heat Rate and Net Product Output of 3335 Million Units (kWh) for compliance in the target year 2014-2015, vide notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 687(E) dated the 30th March, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 30th March, 2012; under the Energy Conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue of Energy Savings Certificate, and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of

Energy Consumed) Rules, 2012 notified vide notification of the Government of India in the Ministry of Power number G.S.R. 269(E) dated the 30th March, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 30th March, 2012;

And whereas the said designated consumer has requested the Central Government for exemption from compliance with the Energy Consumption Norms and Standards-Net Heat Rate- specified in para 1 above for its plant comprising of 6×50MW + 3×100MW as they are due for decommissioning on completion of their service life and are being continued to operate till the commissioning of New Neyveli Thermal Power Project (NNTPP) of 2×500 MW capacity, as conveyed by the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited, Chennai, to tide over the acute shortage of power in the State of Tamil Nadu;

And whereas the said designated consumer has proposed to retire its units at its plant in two stages, envisaging decommissioning of 300 MW capacity each in October, 2017 (units 3, 4, 5, 6, and 9) and April, 2018 (units 1, 2, 7, and 8) respectively, to synchronise with the commissioning of unit 1 and unit 2 of the New Neyveli Thermal Power Project (NNTPP) of 2×500 MW capacity in October, 2017 and April, 2018 respectively;

And whereas the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, has considered the request of the aforesaid designated consumer and is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to agree to the decommissioning of the said Neyveli Thermal Power Station 1;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 53 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby exempts the designated consumer, namely, the said Neyveli Thermal Power Station 1, Neyveli, Cuddalore, Tamil Nadu from the compliance with the Energy Consumption Norms and Standard-Net Heat Rate- in the target year 2014-15 of the first cycle (2012-13 to 2014-15) referred to in paragraph 1 above for the period up to 31st March, 2017 subject to the following conditions, namely:—

- (a) The said designated consumer shall ensure that all the units of its Neyveli Thermal Power Station 1, Neyveli, Cuddalore, Tamil Nadu are decommissioned or retired by 31st March, 2017 and furnish to the Central Government in Ministry of Power, Bureau of Energy Efficiency and to the State Designated Agency of the State of Tamil Nadu the confirmation of decommissioning of all the units of the said Neyveli Thermal Power Station1 by the said date;
- (b) the said designated consumer, in lieu of the aforesaid exemption, shall invest an amount of at least Rs. 109,04,07,598 (Rupees One hundred nine crores, four lakhs, seven thousand, five hundred and ninety-eight only) in the establishment of renewable energy generating capacity, the amount being equivalent to the value of energy in terms of tonne of oil equivalent under rule 16 of the Energy Conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed) Rules, 2012 as per following formula, namely:—

The Value of Energy in terms of tonne of oil equivalent = [{Baseline Net Heat Rate (kcal/kWh) - Net Heat Rate (kcal/kWh) for the target year} × Net Product Output (Million Units)]/10

[F. No 1/11/2013-EC]

SATISH KUMAR, Jt. Secy.